# लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल–462023

क्रमांक / अतिथि शिक्षक / 2025–26 / 467 भोपाल, दिनांक 20/02/2026

प्रति

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
2. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
3. समस्त संकुल प्राचार्य हाई / हायर सेकेण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश।
4. समस्त शाला प्रभारी शासकीय विद्यालय म.प्र.।

**विषयः– अतिथि शिक्षक आमंत्रण के संबंध में।**
**संदर्भः– संचालनालय का पत्र क्र./281 दिनांक 03.09.2025।**

उपरोक्त विषयांतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025–26 में शासकीय विद्यालयों मे रिक्त पदों के विरूद्ध शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु अतिथि शिक्षकों को पोर्टल 3.0 के माध्यम से आमंत्रित करने के निर्देश है। यह संज्ञान मे आया है कि शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की लंबी अनुपस्थिति के उपरांत भी उन्हे कार्यमुक्त नही कर रहे है। उल्लेखनीय है, कि नियमित शिक्षक के रिक्त पद एवं शिक्षकों के अवकाश पर जाने से पठन–पाठन प्रभावित न हो इस हेतु अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाती है। प्राचार्यों द्वारा अतिथि शिक्षकों की लंबी अनुपस्थिति पर संबंधित को कार्यमुक्त न करना गंभीर अनियमितता है।

उक्त परिपेक्ष्य मे निर्देशित किया जाता है, कि विद्यालय मे पोर्टल के माध्यम से उपस्थित कराए गये अतिथि शिक्षक यदि एक सप्ताह से अधिक विद्यालय से अनुपस्थित रहते है, तो ऐसे अतिथि शिक्षक को तत्काल शाला प्रभारी पोर्टल से रिलीव करने की कार्यवाही करें, कार्यवाही न करने की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही शाला प्रभारी करना सुनिश्चित करें।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

अपर संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ. क्र./अतिथि शिक्षक / 2025–26 / 468 भोपाल, दिनांक 20/02/2026

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
2. सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
3. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. कलेक्टर समस्त जिले मध्यप्रदेश।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र.।

अपर संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner